भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1824

जिसका उत्तर 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

वाणिज्यिक कोयला खनन

1824. श्री जॉन बर्ला:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री अरूण साव:
श्री संगम लाल गुप्ता:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र को निजी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक खनन हेतु खोलने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार का उल्लंघन होने की संभावना नहीं है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस निर्णय के परिणामस्वरूप कोयला क्षेत्र को होने वाले संभावित लाभ क्या हैं;

(घ) क्या सरकार के उक्त निर्णय से मंहगे कोयले के आयात को कम करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के अंतर्गत नीलामी किए गए कोयला ब्लॉकों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी, हां। राजस्व शेयर आधार पर कोयले/लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खानों/ब्लॉकों की नीलामी के लिए पद्धति अनुमोदित की गई है और 28.05.2020 को आदेश जारी किया गया है। इस पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- बोलीदाताओं को राजस्व के प्रतिशत शेयर के लिए बोली देनी होगी जो राज्य सरकार को देय होगी।
- सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम के तहत पूर्णतः अन्वेषित और आंशिक रुप से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिए लागू।
- अपफ्रंट राशि अनुमानित भू-गर्भीय भंडारों के मूल्य पर आधारित है।

- सफल बोलीदाता को शीघ्र उत्पादन और कोयले के गैसीकरण अथवा तरलीकरण के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण की अनुमति दी गई है।
- कोयला खानों से कोयले की बिक्री और/या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- आंशिक रुप से अन्वेषित कोयला खान के सफल बोलीदाताओं द्वारा कोयला ब्लॉक का त्याग करने के लिए प्रावधान है।

इसके अलावा, सरकार ने 18.09.2019 को कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है और संबद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कोयले की बिक्री, कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों के लिए ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है जो समय-समय पर संशोधित सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम के उपबंधों और इस विषय से संबंधित अन्य संगत अधिनियमों के अधीन होगी। संबद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोयला वॉशरी, कोयले की हैंडलिंग और सेपरेशन (मैगनेटिक और नॉन-मैगनेटिक) शामिल हैं।

वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया पहले ही शुरु हो चुकी है। सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम के उपबंधों के तहत कोयले की बिक्री के लिए 38 कोयला खानों की नीलामी आयोजित करने के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को केंद्र सरकार के निदेश जारी किए गए थे। सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात् वाणिज्यिक खनन 18.06.2020 को शुरु किया गया था।

(ख) : वे कोयला ब्लॉक जिनका आवंटन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में रद्द कर दिया गया था (सीएमएसपी अधिनियम के तहत ब्लॉक) और एमएमडीआर अधिनियम तथा सीबीए नियम, 2017 के तहत पहचान किए गए नए ब्लॉक वाणिज्यिक खनन हेतु आवंटित करने के लिए प्रस्तावित हैं इसलिए इससे सीआईएल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) : कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी से कई उत्पादकों के साथ कोयले के लिए बाजार में जगह बनेगी जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पर्यावरण प्रबंधन के साथ-साथ खनन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सकेगा। पारदर्शी तरीके से कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी से बाजार की ताकतों के आधार पर कोयले के पारदर्शी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा मिलने की आशा है। इससे बाजार में जल्द से जल्द अधिकतम कोयला उपलब्ध होगा। कोयले की बिक्री के लिए कोयले की खानों की नीलामी से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और सर्वोत्तम संभव प्रौद्योगिकी लगाने के कारण कोयला क्षेत्र में दक्षता आने की आशा है।

(घ) : कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी से बाजार में जल्द से जल्द अधिकतम कोयला उपलब्ध हो सकेगा। आशा है कि बाजार में अधिक कोयले की उपलब्धता से कोयले का आयात कम होगा।

(ड़): जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) में उत्तर दिया गया है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के किसी भी कोयला ब्लॉक की नीलामी नहीं की जा रही है।

*****